

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

ढोटी देवी vs लखार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 177 / 2024

-:आदेश :-

दिनांक :-

14/10/24

प्रार्थी ढोटी देवी

पुत्री श्री लखार

जाति लखार निवासी किलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम किलाड़ा का जमाबन्दी सम्वत 2076-77 के खाता सं 56/ में दर्ज अशुद्ध नाम ढोटी देवी पति लखार जाति लखार निवासी किलाड़ा का शुद्ध नाम ढोटी देवी पति लखार जाति लखार निवासी किलाड़ा की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा